

22 APR 2016

शिकायत पत्र

महायुक्त अधिक्षक

लोहमार्ग न्यायालय

लोहमार्ग न्यायालय अधिकारी प्रथम वर्ग लोहमार्ग न्यायालय दौंड की सेवा में सविनय सादर

- 01 आर.पी.एफ थाना :- सोलापूर
- 02 अपराध क्र :- 193/2016
- 03 धारा :- 144(A) रेल अधिनियम
- 04 घटना का दिनांक एव समय :- दि. 22.4.16 को समय 8/00 बजे
- 05 घटनास्थल :- सोलापूर स्थित
- 06 फरियादी का नाम एव पता :- आ/प्र.आ. RPF थाना सोलापूर
- 07 सलिप्त व्यक्ती का नाम व पता :- विजय माधव बाधमारे डच 25 वर्ष
210-25- सोलापूर पोस्ट ऑफिस पी. सोलापूर
- 08 जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
- 09 मा. न्यायालय में हाजिर रहने की :- दि. 22.4.16 को समय 11/00 बजे
- 10 जांच अधिकारी :- डा. वि. वि. डा. वि. वि. ASI/SIPF/थाना सोलापूर
- 11 घटना का साक्षिप्त विवरण :- मा. न्यायालय की सीमा एव रेलवे सुरक्षा बल थाना सोलापूर के कार्यक्षेत्र में दिनांक 22.4.16 को कॉलम न. 07 के व्यक्ती द्वारा कॉलम न. 04 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूपसे दुर्लभ वस्तु खोजते समय

रेल अधिनियम की धारा 144(A) का उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल अधिनियम के तहत "नोटिस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा. न्यायालय के समक्ष उक्त मामले का विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनंती है की, उक्त व्यक्ती के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

ने.ह.को.जा.व्हाते

सलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर

V. N. वाधमारे

22/4/16

20042
0024122

बला गन्हा कबूल आहे

V.N बांदुर्कार

समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायदेंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड

22 APR 2016

Additional provisions made by the Commission
The Exn. - 01 - The contents of Plea recorded
and explained in verbatim which is
understood and the accused is guilty as
the Commission.

14.4.16-A

He is convicted and Sentenced

to Pay a Fine of Rs. 2000/- (I.D.S.)

and --- days.

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund

22 APR 2016